



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.10.2026

- "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना पिपरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई-
- अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी से जुड़े 02 अभियुक्त गिरफ्तार-
- वाहन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गांजा तस्करी करने का प्रयास-
- 2 क्विंटल 850 ग्राम अवैध गांजा बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹1 करोड़ 50 हजार)-
- तस्करी में प्रयुक्त महिन्द्रा XUV वाहन एवं 02 मोबाइल फोन बरामद-
- (कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹1 करोड़ 10 लाख-)

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुश्री मेविस टॉक एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री हर्ष पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना पिपरी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 क्विंटल 850 ग्राम अवैध गांजा, तस्करी में प्रयुक्त महिन्द्रा XUV वाहन एवं 02 मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा पुलिस चेकिंग से बचने के उद्देश्य से वाहन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाई गई थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही-

दिनांक 30.09.2026 को थाना पिपरी पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर मुर्धवा से करीब 02 किमी आगे एक महिन्द्रा XUV वाहन पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोक लिया गया।

वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ एवं नियमानुसार वाहन की तलाशी के दौरान वाहन की पिछली सीट के नीचे एवं डिग्गी में प्लास्टिक टेप से पैक किए गए 195 पैकेटों में कुल 2 क्विंटल 850 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना पिपरी पर मु0अ0सं0- 186/2026 धारा 8/20/27A/29/60 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में प्रकाश में आया कि उन्हें ओडिशा से गांजा लाकर महोबा पहुंचाने के लिए कहा गया था, जिसके एवज में उन्हें ₹20,000-₹20,000 प्रति चक्कर देने की बात कही गई थी। अभियुक्तों ने बताया कि इससे पूर्व भी वे एक-दो बार गांजा पहुंचा चुके हैं।

अभियुक्तों के अनुसार वे दिनांक 29.09.2026 को ओडिशा से गांजा लेकर महोबा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर उन्होंने वाहन को जंगल की ओर ले जाकर कुछ समय के लिए छिपा दिया था। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से वाहन पर अलग-अलग नम्बर प्लेट का प्रयोग किया जा रहा था।

पूछताछ में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर गांजा तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उमेश अहिरवार पुत्र राम मनोहर अहिरवार, निवासी बजरंग चौक, गांधीनगर, थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा, उम्र करीब 23 वर्ष।
2. महिपाल पाल पुत्र इन्द्रपाल पाल, निवासी कबरई, थाना कबरई, जनपद महोबा, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का समय एवं स्थान—

* दिनांक 30.09.2026 को समय करीब 22:45 बजे।

* रनटोला-मुर्धवा मार्ग पर मुर्धवा से करीब 02 किमी आगे, मोड़ के पास, थाना पिपरी क्षेत्र, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण—

- 2 क्विंटल 850 ग्राम अवैध गांजा (195 पैकेट)।
- महिन्द्रा XUV वाहन।
- 02 अदद नम्बर प्लेट।
- 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 जितेन्द्र सरोज, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 अमित सिंह, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 मोहन खरवार, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 रामाश्रय यादव, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 शिवबदन राम, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
7. हे0का0 शंकर लाल, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।